संख्याः 09 / 2017 / 386 / 35-1-2017-6/8(11)/2016

प्रेषक,

देशराज सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दीर्घकालीन योजना प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 ***लखनऊः दिनांकः 11 मई, 2017***

विषयः वित्तीय वर्ष 2017-2018 के प्रथम पॉच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1/2017/बी-1- 02/दस-2017-231/2017, दिनांकः 02 जनवरी, 2017 तथा पत्र संख्या-3/2017/बी-1- 348/दस-2017-231/2017, दिनांकः 20 मार्च, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-.''3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-60-अन्य-004-अनुसंधान तथा विकास-03-इनोवेशन सेल की स्थापना'' के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्राविधानित धनराशि रू0 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम पॉच माहों के लिए (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) के लिए **रू0 12.50 लाख** (रूपये बारह लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कोड/मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कुल स्वीकृत धनराशि	लेखानुदान के सापेक्ष प्रथम पॉच माह हेतु अवमुक्त धनराशि
1	04-यात्रा व्यय	2.00	0.83
2	08-कार्यालय व्यय	3.00	1.25
3	11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	3.00	1.25
4	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.00	1.67
5	13-टेलीफोन पर व्यय	1.00	0.42
6	18-प्रकाशन	5.00	2.08
7	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	3.00	1.25
8	42-अन्य व्यय	4.00	1.67
9	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00	0.83
10	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.00	0.83

http://sharadesh.up.nic.in

11	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.00	0.42
	योग-	**30.00**	**12.50**

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग में गठित सेल के निर्वतन पर रखी जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि शासनादेश संख्या-24/2016/524/35-1-2016-6/8(3)/2015, दिनांक 01.09.2016 के अनुसार पृथक से खोले गये राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाते में रक्षित की जायेगी तथा इसका संचालन प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा नामित विशेष सचिव तथा राज्य इनोवेशन सेल के निदेशक के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित की जायेगी।

(3) उक्त धनराशि मुख्य रूप से इनोवेशन परियोजनाओं के वित्त पोषण/परियोजनाओं के प्रभावी मूल्यांकन/सम्मेलन का आयोजन/पुरस्कार वितरण/प्रशासनिक एवं सेल के कार्यालय व्यय/मानदेय/बैठक, यात्रा-भत्ता, निरीक्षण में अनुश्रवण आदि में व्यय किया जायेगा।

(4) उक्त रूप से स्वीकृत/आहरित उपलब्ध धनराशि को कार्यकारी समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार व्यय/उपयोग किया जायेगा।

(5) इस सम्बन्ध में समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/शासनादेशों/वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा इनोवेशन के संचालन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं नियमावाली का भी अनुपालन किया जायेगा।

(6) राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यता कराया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-''3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-60-अन्य-004-अनुसंधान तथा विकास-03-इनोवेशन सेल की स्थापना'' के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं 20 मार्च, 2017 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देशराज सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः 09/2017/386(1)/35-1-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(देशराज सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।